

मध्यप्रदेश शासन  
विधिक मापविज्ञान विभाग  
विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

--: निरीक्षण टीप :-

दिनांक..... समय.....  
स्थान.....

संस्थान/व्यक्ति का नाम.....  
पता-दु0क0-ग्राम.....मोहल्ला.....थाना.....जिला.....पिनकोड.....  
व्यवसाय.....  
दुरभाष/मोबाइल क्र0.....  
मेरे द्वारा.....विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के प्रावधान अनुसार उक्त  
संस्थान का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण किये गये बांट माप तौलयंत्र/दस्तावेज/अनुज्ञप्ति/पैकेज  
का विवरण :-

उक्त संस्थान के निरीक्षण मे पाई गई त्रुटि पर जप्ती पत्रक क्र...../सूचना पत्र दिनांक ..... जारी  
किया गया है ।

उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता  
विधिक मापविज्ञान  
अधिकारी